समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

वर्षः– 2019–20 पृष्ठः– 4 अंक :– 45 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

RNI No. MPHIN/2001/11140

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

घुसपैठिये और शरणार्थी – डॉ. किशन कछवाहा

शरणार्थी वे हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथियों के अत्याचार–ज्यादितियों से, अमानवीयता पूर्ण वीभत्स कृत्यों से पीड़ित होकर अपनी या अपने पूर्वजों की मातृभूमि में चैन से जीवन जीने की लालसा से भारत आ गये हैं। घुसपैठिये वे हैं, जो बांग्लादेशी कट्टर इस्लामी सोच को लेकर भारत में बसने आये। इनकी कट्टर इस्लामी सोच और संदिग्ध अपराधिक गतिविधियों से देश की सुरक्षा और शांति–व्यवस्था के खतरे में पड़ जाने की आशंका है।

गत 750 वर्षों में भारत ने अनेकानेक खतरे झेले हैं, अब ऐसे खतरों को और अधिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश की राजधानी दिल्ली के एनसीआर, पश्चिम बंगाल, असम सहित पूर्वोत्तर के बांग्लादेश से सटे सभी प्रदेशों में ये बांग्लादेशी भारी संख्या में अवैध रूप से रह रहे हैं। वहां–वहां अपराधों की संख्या में वृद्धि हुयी है। इसके साथ ही साथ बड़े–बड़े आतंकी संगठन खड़े हो गये हैं। कुछ प्रदेशों के जिलों में इनकी संख्या मूल–निवासियों से अधिक हो गयी है। मूल–निवासी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। राजनीति में निर्णायक स्थिति में आ गये हैं। ये घुसपैठिये दंगे, चोरी–डकैती, बमविस्फोट आदि कृत्यों में शामिल पाये गये हैं। इन घुसपैठियों के बीच जमात–उल–मुजाहिदिन, 'हूजी', इंडियन मुजाहिदिन, मुस्लिम यूनाईटेड फ्रंट ऑफ असम, इस्लामी लिबरेशन आर्मी ऑफ असम, मुस्लिम वालिंटियर्स फोर्स, मुस्लिम लिबरेशन आर्मी, मुस्लिम सिक्योरिटी फोर्स, हरकत–उल–मुजाहिदिन जैसे आतंकी संगठन अस्तित्व में आ चुके हैं।

इन घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता देने के काम में असम राज्य कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी भूमिका उजागर हो चुकी है। घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाने के लिये कांग्रेसियों ने इन्हें बड़ी संख्या में मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड आदि तक उपलब्ध कराने में मदद की है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन मुस्लिम घुसपैठियों को नागरिकता दिलाने जगह–जगह पथराव, आगजनी, दंगा–फसाद कर स्थानीय अधिकारियों पर अपना दबाव बना रहे हैं।

ये घुसपैठिये न केवल देश के लिये खतरा बनेंगे वरन् मुस्लिम जनसंख्या को आधार बनाकर पाकिस्तान जैसा मुस्लिम देश बनाने की स्थिति पैदा करेंगे। फिर वही खून–खराबा–कत्लेआम की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ बनेंगी।

कांग्रेस का यह धर्मनिरपेक्षता वाला ढोंग देशवासियों के लिये तो कारगर सिद्ध हो सकता है लेकिन क्या वह इन कट्टर मुस्लिम सोच वाले घुसपैठियों का हृदय परिवर्तन कर पायेगा? इस महत्पूर्ण प्रश्न को देश की सुरक्षा और अखंडता के लिये सम्भावित खतरे के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है।

विश्व में 57 मुस्लिम देश है। क्या उनमें से किसी एक में भी किसी हिन्दू को वहां की नागरिकता मिल सकती है? और क्या गारंटी है कि वहां उनके साथ धार्मिक भेदभाव नहीं होगा। जैसा पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान में होता है। क्या–क्या और कैसे–कैसे जुल्म नहीं होते? उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हैवानियत की सीमा को भी पार कर दिया जाता है।

नागरिकता संशोधन कानून को बनाने में 70 साल लग गये। यह कानून उक्त तीनों मुस्लिम देशों में अत्याचारों से पीड़ित होकर भारत आये अल्पसंख्यक हिन्दुओं, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई आदि को शरण देता है, अत्याचार करने वालों को नहीं। उक्त तीनों देशों से आये शरणार्थी अपनी खुशी से नहीं आये, वे पीड़ित और परेशान होकर आये हैं।

शरणार्थी और घुसपैठियों में अंतर करना जरूरी है। घुसपैठियों से त्रस्त होने के कारण असम में बहुत संघर्ष हुये हैं। नागरिकता उन परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिये जिनके इन मुस्लिम देशों में रहने के दौरान उनकी नाबालिग बच्चियों तक को अगवा कर लिया गया, जो आज तक लौट नहीं सकीं। ऐसी मानवीयता को चोट पहुंचनाने वाली अनेकानेक वारदातों से पीड़ित होकर ये शरणार्थी भारत आये हैं। वहां ऐसी यहां–वहां बिखरी हजारों जिन्दगियाँ हैं, जो दिरिंदगी–बेवसी को बयाँ करती है। ये चोरी–छिपे, कानून को ठेंगा बताकर नहीं आये हैं, ये बाकायदा बीसा लेकर आये हैं। घुसपैठिये तो सीमा–निरीक्षकों की नजर बचाकर लुक–छिपकर आते हैं।

घुसपैठियों के कारण होने वाले खतरों को कांग्रेस ने बढ़ाया है ताकि वह अल्पसंख्यवाद और उसकी तुष्टीकरण को ढ़ाल बनाकर अपने परिवार और अपने दल की राजनैतिक मजबूती देने के लिये उसे वोट बैंक के रूप में देखती रही है। इस तुष्टीकरण के परिणाम स्वरूप देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में बलात कन्वर्जन, लव–जिहाद बात–बात पर हिंसा, गौधरा, मराड, कश्तिवाड़ कैराना जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें घटी हैं परिणाम उन उन क्षेत्रों से हिन्दुओं को नरसंहार और विस्थापन जैसी स्थितियों से जूझना पड़ा है।

लगभग वैसे ही दृश्य सी.ए.ए.(नागरिकता कानून) के विरोध में उठी आवाजों और प्रदर्शन के दौरान देखे जा सकते हैं। ये प्रदर्शन और विरोध तीन तलाक, अनुच्छेद 370 और श्रीराम मंदिर के फैसले पर कुछ न कर पाने की स्थिति से उपजा आक्रोश व्यक्त हो रहा है। इसकी गम्भीरता और उसके निहितार्थों को समझा जाना चाहिये। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में राष्ट्रविरोधी ताकतें सुनियोजित योजना के तहत घातक कोशिशें कर रही हैं। ये विरोध के रूप में प्रदर्शन, पुलिस पर पथराव–क्या ये अराजकता फैलाने के स्पष्ट लक्षण नहीं है?

जब–जब बांग्लादेश–पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों पर अत्याचार होते रहे तब तब ये विरोध प्रदर्शन करने वाले विपक्षी दल चुप्पी क्यों साध लेते रहे हैं? बढ़ती घुसपैठियों की संख्या के कारण असम सहित पूर्वोत्तर के कई प्रदेश के मूल नागरिक अल्पसंख्यक होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, परिस्थितियाँ तब और भी गम्भीर रूप धारण करेंगी। दिल्ली–एन.सी.आर. में बढ़ती बांग्ला देशी घुसपैठियों की संख्या चिन्ताजनक बनी हुयी है। इन तमाम अवैध घुसपैठ के कारण अपराध भी बढ़े हैं।

सी.ए.ए. (नागरिकता संशोधन कानून) की मूल भावना को नजर अंदाज करते हुये कतिपय अराजक शक्तियाँ अपने राजनैतिक विरोध–स्वार्थ को पूरा करने के लिये देश को खतरे की तरफ ढ़केल रहीं है। उनकी इस देश विरोधी कुत्सित भावनाओं की खिलाफत करने की जरूरत है। इन दुष्ट शक्तियों द्वारा भ्रम फैलाया जाकर संविधान बचाने की बात कही जा रही है। जब कश्मीर से पांच लाख कश्मीरी हिन्दू हंकाले जा रहे थे तब क्या इनंके मुंह सिले हुये थे। उस समय क्या संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा था, जब अपने ही देश के हिस्से कश्मीर से हिन्दुओं को तरह–तरह के अत्याचार झेलकर भागना पड़ा था। क्या वही स्थिति देश के अन्य हिस्सों में लायी जाना है?

बचायेंगे तब ही बचेंगे....

संविधान निर्माताओं ने पर्यावरण के महत्व को समझा था, इसलिये इसे अधिकार के साथ कर्तव्यों में भी शामिल किया गया। लेकिन स्वार्थ और लापरवाही के चलते जनता और सरकारें, दोनों इस कर्तव्य को भुला बैठी है।

यह भारतीय संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता ही कही जाएगी कि दशकों पहले उन्होंने पर्यावरण की महत्ता को समझ लिया था। उन्होंने न सिर्फ स्वच्छ पर्यावरण को व्यक्ति के अधिकारों में शामिल माना, बल्कि पर्यावरण की रक्षा को आम जनता के कर्तव्यों और राज्य की जिम्मेदारियों में सम्मिलित भी किया। हमारे संविधान की धारा 51ए (जी) में मूलभूत कर्तव्यों को उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने समीपस्थ जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों समेत समस्त प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखेगा। इसके साथ ही संविधान के भाग–4 के अंतर्गत धारा 48(ए) में राज्य के दायित्वों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वह देश के पर्यावरण की रक्षा, उसके विकास तथा उसमें स्थित वनों व अन्य प्राणियों की सुरक्षा के सतत् प्रयास करेगा। इस दिशा में भारतीय संविधान की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि संविधान की धारा 21 (जीने का मौलिक अधिकार) के अंतर्गत इस देश में प्रत्येक नागरिक को यह हक़ है कि वह शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण प्राप्त कर सके। 1991 में सुभाष बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट भी किया था कि प्रदूषण मुक्त वायु का अधिकार अनुच्छेद 21 में समाविष्ट है।

हम सबके लिए है खतरा – यह विडम्बना ही है कि जिस देश के संविधान में ही पर्यावरण रक्षा का इतना स्पष्ट प्रावधान हो, वहां गंदगी और प्रदूषण इतना अधिक हो चुका है कि खुद प्रधानमंत्री को हाथ में झाड़ू लेकर सामने आना पड़ता है और नदियों की सफाई के लिए एक अलग मंत्रालय बनाना पड़ता है। दरअसल, हमने पश्चिमी देशों की आंख मूंदकर नकल की और केवल आर्थिक विकास को ही सच्ची तरक्की मान लिया और वह भी किसी भी कीमत पर! परिणाम सामने है। देश में सतह पर मौजूद एक प्रतिशत जल भी पीने लायक नहीं बचा है। अधिकांश राज्यों में 95प्रतिशत तक भूजल प्रदूषित हो चुका है, शहरों में व्यक्तियों से ज्यादा वाहन हो रहे हैं, शहरी ठोस कचरे का ऊलजलूल निबटारा किया जा रहा है। इससे गम्भीर वायु, भूमि और जल प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। इस सबका परिणाम अंततः मानव जीवन पर खतरे के रूप में सामने आ खड़ा हुआ है।

आशा की एक किरण दिखती है – सुखद पहलू है कि भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है, जहां पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल–एनजीटी) में कोई भी नागरिक स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपने निकटस्थ जल, जंगल, जमीन और हवा को बचाने की पहल कर सकता है। और इस तरह समाज तथा देश के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि बड़े–बड़े मुद्दे ही उठाए जाएं। एनजीटी में आप नाली से हो रही गंदगी, पार्क को खराब करने की कोशिश, कचरा जलाने से होने वाली समस्या जैसे आम मामले भी ले जा सकते हैं, जिनका आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। किसी के निर्माणाधीन मकान से निकलने वाली धूल आपको तकलीफ दे रही हो या आसपास की किसी नदी या तालाब पर व्यक्ति/संस्था/समूह ने अतिक्रमण कर लिया हो या उसे प्रदूषित कर रहे हों, तो भी आप एनजीटी जा सकते हैं।

ध्यान रखिये, सीमा की रक्षा में तैनात सैनिक की तरह देश के भीतर प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए प्रयत्नशील लोग भी देश के प्रहरी हैं। वे कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर भी पर्यावरण संरक्षण के अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हैं, ताकि हमारा आज और कल स्वच्छ, स्वस्थ और सुखद बन सके।

संविधान सभा द्वारा निर्णय : जन गण मन राष्ट्रगान के समान ही वंदेमातरम् गीत को भी याद किया जायेगा

संविधान सभा का बारहवां और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी, 1950 को हुआ। यह संविधान सभा का अंतिम दिन भी था। इस दिन सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने राष्ट्रगान के प्रश्न की चर्चा की और कहा कि यह प्रश्न बहुत दिनों से टलता आ रहा था और सभा इसके संबंध में कोई निर्णय करे, इसकी अपेक्षा यह ज्यादा अच्छा है कि मैं ही इसके बारे में घोषणा कर दूं। फिर उन्होंने यह घोषणा की–

'जन–गण–मन से जाने जाने वाले शब्दों और संगीत वाली रचना भारत का राष्ट्रगान है इसके शब्दों में ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं, जो भारत सरकार अवसरानुकूल प्राधिकृत करे। वंदेमातरम् गीत जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया है, जन–गण–मन के समान ही समादृत होगा और उसे भी वैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त होगी।'

सभा ने इस वक्तव्य का हर्षध्वनि के साथ स्वागत किया और जन–गण–मन भारत का राष्ट्रगान बन गया तथा वंदे मातरम् को उसके समान ही स्थान दिया गया। संविधान सभा के सबसे अंतिम कार्यों में राष्ट्रपति का निर्वाचन भी था। सभा के सचिव एच.वी.आर. आयंगर राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी भी थे। 24 जनवरी को उन्होंने सभा में घोषणा की कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद विधिवत भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उनके नाम का प्रस्ताव पं. नेहरू ने किया था और समर्थन सरदार पटेल ने किया। अकेले उनका ही नामांकन पत्र दाखिल किया गया था।

''हिन्दू कहते ही मन आध्यात्मिक भाव से भर जाना चाहिए''

पिछले दिनों संत ईश्वर फाउंडेशन ने राष्ट्रीय सेवा भारती के सहयोग से नई दिल्ली स्थित एन.डी.एम.सी. कन्वेंशन सेंटर में 'संत ईश्वर सम्मान–2019' का आयोजन किया। इस मौके पर संत ईश्वर सम्मान में विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत संस्थाओं व महानुभावों को सम्मानित किया गया। चार व्यक्तियों व स्वयंसेवी संस्थाओं को संत ईश्वर विशिष्ट सेवा सम्मान व 12 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को संत ईश्वर सेवा सम्मान दिया गया। विशेष सेवा सम्मान सियाचिन बिग्रेड, भारतीय सेना को दिया गया।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल। समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिनका आज सम्मान हुआ है, उन्होंने समाज में दूसरों के कष्ट को पहचाना। वे समस्याओं को लेकर सरकार के पास नहीं गए, उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। इन लोगों ने उपलब्ध सीमित संसाधनों से ही समाज कार्य किया व दूसरों की सहायता की। ऐसे में ये सब बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान और विश्वविद्यालय भी ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता जिसकी भारत का एक साधरण व्यक्ति कल्पना कर सकता है। सामने खड़ा कोई व्यक्ति अगर संकट में है और तुम्हें यदि लगता है कि वह संकट में नहीं है तो तुम हिन्दू कहलाने के योग्य नहीं हो। यह कहलाना कि मैं हिन्दू हूँ, कोई चलन नहीं है। हिन्दू कहते ही हमारे मन के भाव आध्यात्मिक हो जाने चाहिए।

नहीं चलेंगे अंग्रेजी राज के कायदे

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारत की मौजूदा आईपीसी और सीआरपीसी में आमूलचूल परिवर्तन के मसौदे पर काम करना शुरू कर दिया है। लखनऊ में आयोजित 47वीं पुलिस साइंस कांग्रेस के समापन समारोह में उन्होंने इस आशय की घोषणा की। निःसंदेह गृहमंत्री के रूप में अगर वह इस काम को करने में सफल हुए तो यह आजाद भारत में सबसे बेहतरीन कार्यों में एक होगा। यह मसला पिछले 70 साल से भारत के लोकजीवन में अंग्रेजी शासन के शूल की तरह चुभ रहा है। क्या यह लोकतांत्रिक भारत में किसी व्यवस्थागत त्रासदी से कम नहीं है कि हमारी पुलिस आज भी 1861 की उस पुलिस संहिता से परिचालित है जो असल में 1857 के पहले स्वतंत्रता समर के दोहराव को रोकने के उद्देश्य से बनाई गई थी। गृहमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बुनियादी बदलाव का काम किसी जल्दबाजी में नहीं होगा, बल्कि इसके लिये व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने प्रस्तावित बदलाव का पूरा मसौदा बनाकर गृहमंत्री के सुपुर्द कर दिया है लेकिन अमित शाह इसे किसी जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहते।

उन्होंने साफ कहा है कि डेढ़ सौ साल बाद होने जा रहे इस बदलाव को आज और कल के भारत के भविष्य के अनुरूप निर्मित किया जाएगा। इसलिए मसौदे के प्रारूप को लोकमंच पर रखा जाएगा और समाज के आखिरी पायदान तक पुलिस जनोन्मुखी कैसे बने, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। जाहिर है, अगर आईपीसी और सीआरपीसी में इस स्वरूप के साथ बदलाव करने में अमित शाह कामयाब रहे तो यह उन्हें अद्वितीय गृहमंत्री के रूप में स्थापित करने का काम करेगा। संख्या बल के लिहाज से यह काम असम्भव भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारत में पुलिस को लेकर सत्ता की सोच से जुड़ा हुआ है। वस्तुस्थिति तो यह है कि आजाद भारत में राजनीतिक दलों द्वारा विकास, सुरक्षा और पुलिस दमन से मुक्ति के नाम पर चुनाव दर चुनाव सत्ता हासिल की गई और सत्ता कब्जाते ही अगले चुनाव तक वे पुलिस के डंडे से ही अपने विरोधियों और असहमत अभिजन को हाशिए पर धकेलने का काम करते आ रहे हैं।

चुनाव दर चुनाव नेतृत्व की झूठी व्यवस्था परिवर्तन सम्बंधी दिलासाओं के भंवरजाल में फंसी गरीब, अशिक्षित, और पिछड़ी जनता ने अंग्रेजी राज की मौजूदा पुलिस संहिता को इसलिये भी स्वीकार कर लिया कि इस दौरान असली भारत तो रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों के मकड़जाल में ही उलझा रहा है। जाहिर है, इन परिस्थितियों में अगर अमित शाह पहली बार यह राजनीतिक साहस दिखाने जा रहे है तो यह उनके अभिनंदन करणीय कार्य की श्रेणी में आएगा।

इस निर्णय की महत्ता मोदी सरकार के अब तक के लोकप्रिय कदमों से होगी क्योंकि पुलिस के खौफ के मारे करोड़ों भारतीय आज भी सहमी और डरी हुई अवस्था में जी रहे हैं। लोकजीवन में पुलिस की छवि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर मोहल्ले के किसी घर में शिष्टाचार वश ही कोई पुलिसकर्मी आ जाए तो आसपास के लोग भयभीत होकर बुरी कल्पनाओं में खो जाते हैं। समाज में आम धारणा यह रहती है कि कभी कोई थाना, कचहरी की देहरी न चढ़े।

इस लोकभावना के पीछे पुलिस का आम व्यवहार ही है जो थानों से भयभीत करने की प्रतिध्वनि देता रहा है। सवाल यह है कि हमारी पुलिस जिस देश भक्ति जनसेवा के ध्येय का दावा करती है वह उस पर कहां तक खरी उतरती है। हकीकत भी यही है कि समाज, राजनीति, यातायात, कला, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य हर क्षेत्र में हमें पुलिस की जरूरत पड़ती है, वह दिन–रात खड़ी भी रहती है। अन्य सरकारी मुलाजिमों की तुलना में सर्वाधिक समय अपनी ड्यूटी पर देती है। इसके बावजूद पुलिस की लोकछवि एक डरावना आवरण क्यों ओढ़े है? क्यों कोई भी भारतीय थानों में उस उन्मुक्त भाव के साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है जैसे तहसील, जनपद या सरकारी अस्पताल में जाता है? आखिर इन सरकारी दफ्तरों की तरह पुलिस भी तो हमारी सुरक्षा और कल्याण के लिए बनाई गई है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए बहुत गहरे शोध की जरूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि 1861 में अंग्रेजी हुकूमत ने पुलिस एक्ट इसलिए बनाया था क्योंकि 1857 के पहले स्वतंत्रता समर से ब्रिटिश बुरी तरह डर गए थे। इंडियन पुलिस अंग्रेजी शासन की साम्राज्यवादी और सामंतवादी नीतियों के पोषक के रूप में स्थापित की गई थी। समाजसेवा, निर्बलों की रक्षा, अपराधों की रोकथाम, जैसे कानून द्वारा स्थापित कार्यों की अपेक्षा इसका उपयोग कानून द्वारा अपरिभाषित कार्यों के लिए सत्ता तंत्र ने अधिक किया है। सन् 1902 में गठित भारतीय पुलिस आयोग ने पुलिस तंत्र को अक्षम, अप्रशिक्षित, भ्रष्ट और दमनकारी कहा था। लेकिन तब की गोरी हुकूमत के लिये यह कोई चिन्ता की बात नहीं थी क्योंकि उसका ध्येय भारत में किसी लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं बल्कि हमारे समाज का शोषण और दमन ही था। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं।

अगर पांच लोग किसी चौराहे पर खड़े होकर सत्ता के विरूद्ध आवाज उठाते हैं तो पुलिस आपको शांतिभंग करने के आरोप में धारा 151 में बन्द कर देती है और तब आपकी जमानत एसडीएम को लेनी होती है। वहीं अगर आप किसी को थप्पड़ मार दें, उसे गाली दें, उसे हल्की चोट दे दें तो आपको धारा 323, 506बी के तहत पकड़ा जाएगा और थानेदार साहब ही आपको जमानत पर छोड़ देंगे। इसे अंग्रेजी हुकूमत के आलोक में समझिए। उस दौर में सत्ता के विरूद्ध सार्वजनिक समेकन और संवाद इसलिये निरूद्ध था क्योंकि हुकूमत अंग्रेजी थी। भारतीय बड़ी संख्या में अंग्रेजी राज के अधीन काम करते थे। उनके अफसर यहां तक कि उनकी पत्नियां उनके साथ मारपीट करें, बेइज्जत करें तब भी उनका अपराध कमतर बनाया गया। अंग्रेजी पुलिस का दरोगा घर आकर उनको सम्मान से जमानत दे देता था। इसी दौरान अगर कोई इंकलाबी रूप से मुखर हो तो उसे बंदी बनाकर 151 में न्यायालय में पेश किया जाता था।

आज भी ये धाराएं हम पर लागू हैं और इससे मिलती–जुलती अनेक धाराओं के माध्यम से हम उसी दोयम दर्जा नागरिक के रूप में शासित हो रहे हैं। प्रश्न यह है कि आजादी के तत्काल बाद या आज तक इस व्यवस्था को बदला क्यों नहीं गया है? ईमानदार निष्कर्ष यही है कि हमारे नेताओं ने भी उसी स्वरूप में पुलिस को इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि लोकतंत्र के शोर में वे मानते रहे हैं कि सत्ता पुलिस के जरिए ही स्थापित और कायम रखी जा सकती है, और जिन अखिल भारतीय कैडर के लोगों को हम भारत का सर्वाधिक प्रज्ञावान मानते हैं, वे भी बुत बने रहे हैं सत्ता के आगे। इसलिये अगर अमित शाह वाकई भारतीय पुलिस का चेहरा और उसकी उपयोगिता को बदलने जा रहे हैं तो यह वास्तविक आजादी का अहसास कराने वाला अभिनंदनीय कदम होगा। महात्मा गांधी कहते थे कि पुलिस को जनता के मालिक के रूप में नहीं बल्कि जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहिए। तभी जनता स्वतः पुलिस की सहायता करेगी और पुलिस –जनता के परस्पर सहयोग से एक अपराध मुक्त समाज का निर्माण होगा।

श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर हेतु कोई धन संग्रह नहीं

श्रीराम जन्मभूमि फैसले के बाद विश्व हिन्दू परिषद ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किया कि श्रीराम जन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण हेतु किसी प्रकार का धन संग्रह नहीं किया जा रहा है। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिन्द परांडे ने एक बयान में स्पष्ट किया कि विश्व हिन्दू परिषद या श्रीराम जन्मभूमि न्यास द्वारा 1989 के बाद से आज तक श्रीराम जन्मभूमि के लिए सार्वजनिक रूप से न तो कोई धन संग्रह किया गया है और न ही इस हेतु अभी कोई आव्हान किया है।

नागपुर में शुरू हुआ संघ शिक्षा वर्ग (विशेष)

गत दिनों नागपुर स्थित स्मृति परिसर के महर्षि व्यास सभागृह में संघ शिक्षा वर्ग(विशेष) का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह वी. भागैया उपस्थित थे। उन्होंने शिक्षार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि संघ शिक्षा वर्ग, तृतीय वर्ष(विशेष) राष्ट्रीय एकात्मता की प्रत्यक्ष अनुभूति का केन्द्र है। यहां 'हम सब एक हैं' का अनुभव होता है और यह अनुभव हम सबको लेना चाहिए। इस वर्ग में सम्मिलित होने की हम सबको कई वर्षों से प्रतीक्षा रहती है। इस विशेष वर्ग में आए हम सब अनुभवी कार्यकर्ता हैं। हमें अपने शास्त्रों में बताए गए–धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य एवं क्रोध पर विजय जैसे सद्गुणों की उपासना न केवल इस वर्ग में करनी है, अपितु आजीवन यह सद्गुण अपने जीवन में हो, इसके लिए प्रयासरत रहना है। उन्होंने कहा कि अपने ध्येय के प्रति अटूट निष्ठा, विचारधारा की स्पष्टता, आत्मीयता, कठोर परिश्रम एवं अनुशासन यह संघ स्वयंसेवकों के विशेष गुण हैं। अपने आचरण द्वारा इन गुणों का प्रकटीकरण इस वर्ग में होना चाहिए। हमको सभी शारीरिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। विशेष रूप से योग और आसन में हमें प्रवीण बनना चाहिए। संघ की विविध गतिविधियों के बारे में मन में स्पष्टता होना चाहिए। यह वर्ग हमारी एक साधना है। उन्होंने इस 25 दिन की साधना में हम पूरे मन से सम्मिलित हों, ऐसा आव्हान किया तथा वर्ग को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं।

''सावरकर की जीवनी लिखना आसान नहीं''

''वीर सावरकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही लेखक, इतिहासकार, राजनेता, दार्शनिक और समाज सुधारक भी थे।'' उक्त बात उपराष्ट्रपति वेकैंया नायडू ने कही। वे पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित नेहरू म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में 'Savarkar: Echoes from a Forgotten Past' पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इतिहास की पुस्तकों में सावरकर तथा देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले अनेक वीरों के बार में नहीं बताया गया, जिस कारण हमारी युवा पीढ़ी इनसे अनभिज्ञ है। कुछ कथित इतिहासकारों ने सावरकर के बारे में नकारात्मक बातों को प्रचारित किया, जबकि उन जैसे व्यक्तित्व की जीवनी लिखना आसान नहीं है। उन्होंने लेखक वीके संपत की सराहना की और कहा कि सावरकर के व्यक्तित्व के कई पहलू ऐसे हैं, जिन्हें लोग नहीं जानते। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सावरकर ने देश में छुआछूत के खिलाफ एक सशक्त आन्दोलन छेड़ा था। सावरकर ने रत्नागिरि जिले में पतित पावन मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें वंचितों सहित सभी हिन्दुओं को प्रवेश की अनुमति थी। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जाति रहित भारत की कल्पना करने वाले व्यक्ति थे।

''370 हटने के बाद खुल रहे हैं विकास के रास्ते''

''अनुच्छेद–370 हटने के बाद कश्मीर के कुछ नेता और अलगाववादी ताकतें भले विरोध कर रही हों लेकिन कश्मीर की आम जनता इसके हटने से खुश है।'' ये शब्द थे कुरूक्षेत्र में सम्पन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भाग लेने आए कश्मीरी शिल्पकार तारिक व शबीर अहमद के। इन शिल्पकारों ने अनुच्छेद 370 व 35ए को लेकर सरकार के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि अनुच्छेद–370 के समाप्त होने से न केवल कश्मीर के लोग भी भारत का हिस्सा बनने को बेकरार है। बारामूला के रहने वाले शबीर अहमद वे तारिक का कहना है कि वे कश्मीरी कहवा बेचने का काम करते हैं और ज्यादातर समय कश्मीर से बाहर ही रहते हैं। मगर जब वे पहले कश्मीर जाते थे तो आतंकी घटनाओं के साथ माहौल में अराजकता रहती थी। लेकिन जब से अनुच्छेद–370 समाप्त हुआ है, तब से न तो पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं और न ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले सामने आए हैं। हाँ, कश्मीर के कुछ नेता अपनी रोटियां सेंकने के लिए अनुच्छेद–370 हटाने का विरोध कर रहे हैं। जबकि हम लोग इसके हटने से बहुत खुश हैं। इससे हमारा विकास रूका पड़ा था जो अब होगा। इन कश्मीरी शिल्पकारों का कहना था कि पाक अधिक्रान्त कश्मीर में उनके परिचित भी भारत सरकार के निर्णय का समर्थन कर रहे हैं और खुद भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं।

आशीष चौहान बने विद्यार्थी परिषद के नए राष्ट्रीय संगठन मंत्री

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में सम्पन्न हुआ। इससे पूर्व हिमाचल से सम्बन्ध रखने वाले श्री आशीष चौहान को विद्यार्थी परिषद का नया राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनी आंबेकर एवं राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रहे श्री के.एन. रघुनन्दन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना से नए दायित्व सम्भालेंगे।

एक नया षड़यंत्र

वर्तमान में छात्र आन्दोलन नव–वामपंथ के षड़यंत्र के रूप में सामने आ रहा है। छात्रों को उनकी शिक्षा और रचनात्मकता से भटकाने वाले अनेक तत्व सक्रिय हैं। संस्थान का सर्वर तोड़ा जाना, अध्यापकों के कपड़े फाड़ना, देश की बर्बादी होने तक जंग लड़ने के नारे लगाये जाना भारत के जवानों के बलिदान पर जश्न मनाया जाना, सरकारी वाहनों को आग के हवाले किया जाना, 'हिन्दुओं से आजादी' के नारे लगाना, 'हिन्दुत्व की कब्र खोदने' के नारे लगाना, शैक्षिक परिसर में जिन्ना की तस्वीर लगाना आदि परिदृश्य सामने आ चुके हैं। ये सचेत हो जाने के लिये पर्याप्त हैं।

वामपंथ और नव–वामपंथ ने छात्रों की ऊर्जा का प्रवाह गलत दिशा में मोड़कर उनका ही अहित नहीं किया, वरन् देश के खिलाफ भी एक गहरा षड़यंत्र रचने की कोशिश हुयी है। पहली प्रयोग शाला के रूप में आया जादवपुर विश्वविद्यालय जहां पर छात्रों ने बड़ा हंगामा खड़ा किया। इसकी दूसरी प्रयोगशाला है जे.एन.यू.–जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। यहां भी संसद पर हमला करने की साजिश रचने के दोषी कश्मीरी आतंकी अफजल की फांसी पर यहां विरोध प्रदर्शन किया गया। तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देश द्रोह के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया–ऐसे अनेक मामले सामने आ चुके हैं।

क्या शैक्षिक परिसरों में हिंसा की राजनीति और समाज को 'टुकड़–टुकड़े, वोटी–वोटी काटने' का मंसूबा पालने वालों तथा बच्चों को, छात्रों को उनके गिरोह में फंस जाने की खुली छूट देना चाहेंगे?

यह सुनिश्चित है कि संविधान का विरोध करने वालों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपशब्दों का बौछार, आक्रोश के नाम पर सार्वजनिक सम्पत्ति फूंकने की आजादी को कतई नहीं दी जा सकती। देश में संविधान से प्राप्त विमर्श की स्वतंत्रता को क्रांतिकारी विध्वंश की स्वच्छंदता तक सीमा तक ले जाने नहीं दिया जा सकता। प्रदर्शन का बहाना लेकर पथराव करने वालों को संरक्षण दिया जाना भी बर्दाश्त के बाहर है।

क्या हमारे विश्वविद्यालय जो अबतक छात्रों के व्यक्तित्व से लेकर राष्ट्र के निर्माण तक में बहुत कारगर रहे हैं, रचनात्मकता का जन्म देने वाले रहे है,के माहौल को खराब होने दिया जाता रहेगा और कब तक.....

सूचना

कृपया आप अपना सुझाव महाकोशल संदेश के ई–मेल व्हाट्सअप नं. 9713223539 पर भेजें।

— सम्पादक

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा
Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com